संगीता बनाम रविंद्र सिंह वगै0

दीवानी वाद सं0 – 82/2017

06.05.2026 वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी/वादी संगीता शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी पेश किया जो निम्न प्रकार है –

यह कि प्रतिवादी कम 4 ने अपनी जिरह में बताया है कि चांदी देवी ने प्लॉट सं0 29 वादीनी से कय किया है, जब कि उसके द्वारा पुलिस में जो बयान दिया है उसमें बताया कि चांदी देवी ने प्लॉट नं0 29 रविंद्र सिंह से कय किया है, इसी प्रकार प्रतिवादी कम 3 ने भी पुलिस में दिये बयानों में कथन किया है प्लॉट सं0 25 श्री रविंद्रसिंह से कय किया गया है तथा नोटरी अमर कृष्ण द्वारा प्लॉट नं0 25, 26 व 29 के इकरारनामे, मुख्तारनामे प्रदर्श 9, 10, 11, 12, 14 व 15 तस्दीक करना बयानों में कथन किया है तथा ये दस्तावेज रविंद्रसिंह द्वारा उसके पास लाने का कथन किया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त बेचान प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रतिवादी कम 2, 3 व 4 को किया गया है, इस हालत में ये बयान रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक व न्याय हित में है। ये नयालय की प्रमाणित प्रतिलिपियां है, प्रार्थी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है जो इस वाद से सुसंगत है। जो इस प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण हेतु आवश्यक व महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अतः इसे पेश करने की अनुमति प्रदान कर रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रदर्शित करना आवश्यक है, यह प्रकरण से सुसंगत है तथा इनसे माननीय न्यायालय को प्रकरण के निस्तारण में सहायता प्राप्त होगी। अतः श्रीमान से विनय है कि संलग्न दस्तावेज पेश करने की अनुमति प्रदान कर रिकार्ड पर लिये जाने व प्रदर्शित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बांकेलाल व नंदसिंह ने जवाब पेश नही कर सीधे बहस की। प्रकरण में प्रार्थी/वादी का कथन है कि प्रकरण में वादीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक एफआइआर दर्ज करवायी थी। जिसमें रामचंद्र, नंदसिंह, अमरकृष्ण के 161 सीआरपीसी के बयान लिए थे। जिसके बयान प्रकरण में सुसंगत है तथा बयान में उक्त गवाहों ने स्वीकार किया था कि वे संगीता व आनंद शर्मा को जानते हैं तथा बयानों में यह भी स्वीकार किया है कि रविंद्र सिंह ने उनको प्लॉट बेचा है। इस प्रकार से उक्त बयान सुसंगत है तथा उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जावे। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 2 व 4 का कथन है कि प्रकरण में जो बयान पेश किए गए हैं वो 161 के बयान है उनका प्रकरण में कोई महत्व नहीं है। वह केवल अन्वेषण के दौरान दिये गए कथन है। उनका साक्ष्य में कोई महत्व नहीं है। पक्षकारों की बहस का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। पूर्वतन कथनों के बारे में साक्ष्य अधिनियम में निम्न प्रावधान किए गए हैं –

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 148 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 144) जो निम्न प्रकार है –

लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य – किसी साक्षी से, जबकि वह परीक्षाधीन है, यह पूछा जा सकेगा कि क्या कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य व्ययन, जिसके बारे में वह साक्ष्य दे रहा है, किसी दस्तावेजा में अन्तर्विष्ट नहीं था, और यदि वह कहता है कि वह था, या यदि वह किसी ऐसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में कोई कथन

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कम–1 कोटा (राज.)

करने ही वाला है, जिसे न्यायालय की राय में, पेश किया जाना चाहिए, तो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाए जब तक ऐसी दस्तावेज पेश नहीं कर दी जाती, या जब तक वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते, जो उस पक्षकार को, जिसने साक्षी को बुलाया है, उसका द्वितीयक साक्ष्य देने का हक देते हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 160 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 157) जो निम्न प्रकार है –

उस तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अभिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे – किसी साक्षी की परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित, उस समय पर या के लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ, या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा।

उक्त प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में कब साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। उक्त प्रावधानों से स्पष्ट किया गया है कि जब साक्ष्य विटनिस बॉक्स में हो तब उक्त साक्षी से उसके पूर्वतन लिखित कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। यह कि प्रकरण अंतिम बहस में नियत है तथा कोई भी साक्ष्य विटनिस बॉक्स में नहीं है जब साक्षी विटनिस बॉक्स में हो तभी उसके पूर्वतन लेखबद्ध कथनों को उसे दिखाकर उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य में नियत नहीं है तथा कोई भी गवाह विटनिस बॉक्स में नहीं है जिसे दिखाकर उक्त गवाहान रामचंद्र, नंदसिंह, अमरकृष्ण की प्रतिपरीक्षा की जा सकती हो। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम में दिनांक 11.05.2026 को पेश हो।

(11-05-26)

अपर जिला न्यायाधीश,
कम–1, कोटा